

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1576
20 सितम्बर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: भारतीय बीज बाजार

1576. श्री शान्तनु ठाकुर:

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:

श्री जॉन बर्ला:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय बीज बाजार के विश्व के पांचवें सबसे बड़े बीज बाजार के रूप में उभरने के बावजूद भारतीय किसान भारतीय बीज बाजार से वित्तीय लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
- (ग) सरकार प्रत्येक फसल चक्र के लिए बीज की खरीद पर लागत में वृद्धि को किस प्रकार कम करेगी;
- (घ) क्या इनके अलावा प्रामाणिक और गुणवत्ता वाले बीजों की कमी भी समस्या है;
- (ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या चारे के बीजों की उपलब्धता में कमी डेयरी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है; और
- (छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): भारतीय बीज बाजार एक वृहद बाजार है जो किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीजों का उत्पादन करता है। आईसीएआर ने पिछले 5 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषिगत और बागवानी फसलों की एक हजार से अधिक नई किस्में विकसित की है जिसमें कृषि व कीटों, लवणता, बाढ़ सूखा और अन्य जैविक/अजैविक कारकों से प्रतिरोध करने की क्षमता है।

(ग): सरकार बीजों के मूल्य को कम करने के लिए बीजों के उत्पादन, वितरण और बीजों से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों अर्थात; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), बीज एवं उपलब्ध/प्रदान किए जाते हैं।

(घ) एवं (ङ.): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग राज्य कृषि विभाग के समन्वय से उत्कृष्ट बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज रोलिंग योजना विकसित करता है।

भारत सरकार भी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के उत्पादन और वितरण बढ़ाने के लिए किसानों को विविध स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है। जैसा कि उत्कृष्ट बीजों की कोई कमी नहीं है।

(च) एवं (छ): जी हां। सरकार पहले से ही आहार एवं चारा विकास उप-मिशन के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उत्कृष्ट चारा बीज के उत्पादन, खरीद और वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

चारा बीज उत्पादन श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत सरकार का नियमित रूप से चारा फसलों के प्रजनक बीजों के लिए इंडेंट (मांग-पत्र) प्राप्त हो रही है जिससे किसानों के वितरण के लिए आधारी और प्रमाणित बीजों में वृद्धि हो जाती है।
